न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 57 / 2026
अनवान : –

1. प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 779 / 781 की कुल 9.6740 हैक्ट भूमि में से 2561 / 9674 हिस्सा व खाता स0 802 / 800 के ख0न0 654 की 3.1620 में से 1265 / 3162 हिस्सा व खाता स0 314 / 321 की कुल 18.5770 हैक्ट भूमि में से 6083 / 37154 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 779 / 781 की कुल 9.6740 हैक्ट भूमि में वादी का नाम प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द्र व व खाता स0 802 / 800 के ख0न0 654 की 3.1620 में से 1265 / 3162 हिस्सा व खाता स0 314 / 321 की कुल 18.5770 हैक्ट भूमि में से 6083 / 37154 हिस्सा भूमि में वादी का नाम प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द व प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र के स्थान पर प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार दर्ज करवाना चाहता है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 779 / 781 की कुल 9.6740 हैक्ट भूमि में वादी का नाम प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द्र व व खाता स0 802 / 800 के ख0न0 654 की 3.1620 में से 1265 / 3162 हिस्सा व खाता स0 314 / 321 की कुल 18.5770 हैक्ट भूमि में से 6083 / 37154 हिस्सा भूमि में वादी का नाम प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द व प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र के स्थान पर प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार दर्ज करवाना चाहता है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। अत वादीगण के दस्तावेजो के मुताबिक वादीगण का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 779/781 की कुल 9.6740 हैक्ट भूमि में वादी का नाम प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द्र व व खाता स0 802/800 के ख0न0 654 की 3.1620 में से 1265/3162 हिस्सा व खाता स0 314/321 की कुल 18.5770 हैक्ट भूमि में से 6083/37154 हिस्सा भूमि में वादी का नाम प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र दर्ज है वादी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द व प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र के स्थान पर प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार दर्ज करवाना चाहता है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर रोही रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 779/781 की कुल 9.6740 हैक्ट भूमि में वादी का नाम **प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द्र के स्थान पर प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार** व खाता स0 802/800 के ख0न0 654 की 3.1620 में से 1265/3162 हिस्सा व खाता स0 314/321 की कुल 18.5770 हैक्ट भूमि में से 6083/37154 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र** के स्थान पर **प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार** के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 57 / 2026

अनवान : –

1. प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 57 सन 2026 निर्णय दिनांक 03/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 779 / 781 की कुल 9.6740 हैक्ट भूमि में वादी का नाम **प्रशान्त पुत्र सुभाषचन्द्र के स्थान पर प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार** व खाता स0 802 / 800 के ख0न0 654 की 3.1620 में से 1265 / 3162 हिस्सा व खाता स0 314 / 321 की कुल 18.5770 हैक्ट भूमि में से 6083 / 37154 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **प्रशान्त सुथार पुत्र सुभाषचन्द्र** के स्थान पर **प्रशांत सुथार पुत्र सुभाष सुथार** के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक......03/06/26......को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर